



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-19

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 252358 दिनांक 18/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Karan Singh S/o MEETHA LAL	श्री करण सिंह पुत्र स्व. श्री मीठा लाल	51	150.00 SQ. YARD	Private	SHREE RAM VIHAR SOUTH	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या ई-51 क्षेत्रफल 150 व.ग. निजी खातेदारी योजना श्रीराम विहार साउथ की लीज डीड दिनांक 24.06.2010 को श्रीमती सुमन धनाका पत्नी श्री मनीष शर्मा के पक्ष में दिनांक 24.06.2010 को जारी की गई है। उक्त भूखण्ड का बेचान श्रीमती सुमन धनाका द्वारा श्रीमती मोहिनी पोसवाल पत्नी श्री रुपनारायण पोसवाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.11.2012 के



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								द्वारा विक्रय किया गया है। तत्पश्चात श्रीमती मोहिनी पोसवाल पुत्री स्व. श्री मीठा लाल पत्नी श्री रूपनारायण पोसवाल द्वारा श्री करण सिंह पुत्र स्व. श्री मीठा लाल को जरिये रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड दिनांक 10.07.2024 के द्वारा गिफ्ट किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपति online सबमिट करें, अन्यथा आपति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Karan Singh S/o MEETHA LAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |